

न्यायालय, समाहर्ता, पूर्णियाँ
विविध अनुमति वाद संख्या-19/11

बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा-49 (जी0)

श्री मणी लाल उरांव, पिता-स्व0 हाथी उरांव, साकिन-सिधिया, थाना-सदर, जिला-पूर्णियाँ...

आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार

विपक्षी

आदेश

यह विविध अनुमति वाद बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा-49 (जी0) अन्तर्गत अपने अधूरे मकान के छत को पूरा करने, बेटी की शादी एवं ट्रैक्टर का ऋण चुकाने हेतु कुल 00.16.75 एयर जमीन बेचने हेतु दायर किया गया है।

इस संबंध में अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी है। अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व ने अपना जाँ प्रतिवेदन पत्रांक 568, दिनांक 08.04.2011 द्वारा समर्पित किये हैं, जिसमें प्रतिवेदित है कि आवेदक के पास निम्न ब्यौरा की जमीन धारित है :-

आवेदक के पास कुल धारित जमीन

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा
1	2	3	4	5
अब्दुल्ला नगर	1001/1	543	25	00.44.75
वार्ड नं0-21			26 क	00.00.55
			26 ख	00.02.75
			27 क	00.04.15
			27 ख	00.00.30
			108	00.39.50
			142	00.55.00
			144	00.19.35
			145	00.20.90
			146	00.04.30
			1615	00.92.25
			1628	00.16.75
			कुल :	03.02.75

(Handwritten Signature)

आदेश की क्रम
संख्या एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1

2

बिक्री की जानेवाली जमीन का ब्यौरा

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा
1	2	3	4	5
अब्दुल्लानगर वार्ड नं०-21	1001/1	543	1628	00.16.75

प्रश्नगत जमीन बिक्री के पश्चात अवशेष जमीन का ब्यौरा

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	कुल रकबा
1	2	3	4	5
अब्दुल्लानगर वार्ड नं०-21	1001/1	543	25, 26 क, 26 ख, 27 क, 27 ख, 108, 142, 144, 145, 146, 1615	02.52 एकड़

प्रश्नगत जमीन बिक्री के पश्चात आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते हैं।
अंवलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व द्वारा जमीन बिक्री करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदक को अपनी अधूरे
मकान के छत को पूरा करने, बेटा की शादी एवं ट्रैक्टर का ऋण चुकाने हेतु प्रस्तावित भूमि
के बिक्री की अनुमति दी जाती है। इस निर्णय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती
है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्ता, पूर्णियाँ

समाहर्ता, पूर्णियाँ